**न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर**

**<u>प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/2535/2005/बीकानेर</u>**

1–परमाराम पुत्र नवलाराम मृतक जरिये वारिसान–
1/1– जमनादेवी पत्नी परमाराम
1/2– मूलराम
1/3– बिजूराम
1/4– दीनदयाल पुत्रगण परमाराम
1/5– गोमती देवी
1/6– बाली देवी
1/7– रामीदेवी
1/8– केसरदेवी
1/9– संतोष देवी
1/10–लिछमादेवी पुत्रियां परमाराम
समस्त जाति मेघवाल निवासी ग्राम मोहनपुरा वार्ड नं0 22 नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर

**–अपीलार्थीगण**

**बनाम**

1–आदूराम पुत्र नवलाराम मृतक जरिये वारिसान–
1/1– कमलादेवी पुत्री आदूराम पत्नी उमाराम
2–गोरधनराम पुत्र नवलाराम
समस्त जाति मेघवाल निवासी ग्राम मोहनपुरा वार्ड नं0 22 नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर
3–राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नोखा जिला बीकानेर

**–प्रत्यर्थीगण**

**<u>खण्डपीठ</u>**
**श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष**
**श्री राजेश कुमार दडिया, सदस्य**

**उपस्थित–**
श्री के.के. पुरोहित, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री समीर अहमद, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

**निर्णय**

**दिनांक 03.12.2024**

अपीलार्थीगण ने यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा अपील संख्या–59/2003 बउनवान आदूराम बनाम परमाराम वगै0 में पारित एवं डिक्री निर्णय दिनांक 15–03–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि वादी/अपीलार्थी ने प्रतिवादी/रैस्पो0 के विरूद्ध एक राजस्व वाद विद्धान उपखण्ड अधिकारी नोखा के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् पेश कर कथन किया कि रायसर तहसील नोखा स्थित विवादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नं0 3 की 21 बीघा 12 बिस्वा हाल खसरा नं0 4 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नं0 5 रकबा 5.01 हैक्टर व खसरा नं0 6 रकबा 0.30 हैक्टर कुल किता 3 रब्बा 5.46 हेक्टर भूमि वादी/अपीलांट के पिता नवलाराम की स्वअर्जित है तथा इसकी वसीयत दिनांक 05–08–1977 को अपीलांट के पिता नवलाराम ने अपीलांट के हक मे निष्पादित कर दी तथा रेस्पो0 संख्या 02 गोरधन व अपीलांट की माता मु0 नानू द्वारा अपना –अपना हिस्सा अपीलांट के हक मे दिनांक 28–08–1988 को रिलीज कर दिया। इस प्रकार अपीलांट विवादित भूमि का एक मात्र खातेदार है किन्तु रेस्पो0 उसके कब्जाकात में हस्तक्षेप करते है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण संख्या–2 की ओर से वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने वादपत्र व जवाबदावे के आधार पर 05 तनकीयात कायम की। तत्पश्चात् उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय व डिक्री दिनांक 29–08–2003 से वादी का दावा डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15–03–2005 से स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त कर दिया। इसी निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील मंडल के समक्ष प्रस्तुत की।

3– हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता ने अपनी बहस में तर्क किया कि विचारण न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित किया है किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में तनकीयों पर ध्यान दिए बिना ही निर्णय पारित कर दिया जो आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त करने योग्य है। आगे यह भी तर्क किया है कि रैस्पो0 ने विचारण न्यायालय में जो जवाबदावा दिया था उसमें यह नहीं लिखा की वसीयत गलत है परंतु प्रथम अपीलीय न्यायालय मात्र कयास के आधार पर अपीलांट के पक्ष में निष्पादित वसीयत को संदिग्ध मानने में कानूनी त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावे और विचारण न्यायालय का आदेश बहाल रखा जावे।

5– योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि पक्षकारान के पिता नवलाराम का देहान्त दिनांक 5–8–1977 को हुआ एवं नवलाराम की मृत्यु की दिनांक 5–8–1977 को निष्पादित तथाकथित वसीयत के आधार पर वादी अपीलार्थी ने वर्ष 1996 में विचारण न्यायालय के समक्ष घोषणा का वाद प्रस्तुत किया। उक्त तथाकथित वसीयत फर्जी एवं कूटरचित पंजीकृत दस्तावेज है, जिसके आधार पर वादी अपीलार्थी को विवादित आराजी में कोई स्वत्व व अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। विचारण न्यायालय द्वारा मृत्यु की दिनांक को निष्पादित तथाकथित वसीयत को प्रमाणित होना मानते हुए वादी का वाद विधि विरूद्ध डिक्री किया और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपील को स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होने से पारित निर्णय में द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे। अपने कथनों के समर्थन में 1989 आरआरडी पेज 168 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया।

6– हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड एवं पारित निर्णयों का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7– प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दू यह है कि वादी परमाराम पक्षकारान के पूर्वज नवलाराम द्वारा सादे कागज पर निष्पादित तथाकथित वसीयत दिनांक 5–8–1977 के आधार पर वर्ष 1996 में प्रस्तुत वाद के माध्यम से विवादित आराजी की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है अथवा नहीं ?

8– अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी अपीलार्थीगण के पूर्वज परमाराम ने ग्राम रायसर तहसील नोखा स्थित विवादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नं0 3 रकबा 21बीघा 12बिस्वा हाल खसरा नं0 4 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नं0 5 रकबा 5.01 हैक्टर व खसरा नं0 6 रकबा 0.30 हैक्टर कुल किता 3 रब्बा 5.46 हेक्टर भूमि बाबत् अपने पिता नवलाराम द्वारा सादे कागज पर निष्पादित वसीयत दिनांक 05–07–1977 के आधार पर दिनांक 20–7–1996 को घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। वादी परमाराम ने अपनी मौखिक साक्ष्य में अपने पिता नवलाराम द्वारा उसके पक्ष में दिनांक 5–8–1977 को वसीयत करना स्वीकार किया और जिरह में अपने पिता नवलाराम की मृत्यु दिनांक 5–8–1977 को होना स्वीकार करता है। इस प्रकार वसीयत निष्पादन की दिनांक 5–8–1977 को ही मूल खातदेार नवलाराम की मृत्यु होना मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित है। मौखिक साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि मूल खातेदारी नवलाराम की मृत्यु उपरान्त वर्ष 1978 में जरिये विरासत के नामान्तरकण से विवादित आराजी मृतक खातेदार के सभी वारिसान गोरधनराम, आदूराम, परमाराम पिसरान नवलाराम व मु0 नानू बेवा नवलाराम कौम मेघवाल सा. देह बहिस्सा बराबर दर्ज हुई, जिसमें वादी अपीलार्थी परमाराम का भी नाम दर्ज है। इसी प्रकार वर्ष 1988 में वादी के भाई गोरधनराम एवं माता मु0 नानू द्वारा अपने हिस्से की भूमि की रिलीजडीड वादी के पक्ष में निष्पादित हुई है। यह परिस्थिति यह प्रकट करती है कि जब वादी अपीलार्थी समस्त भूमि का वसीयत धारक था तो फिर उसके द्वारा विरासत का नामान्तकरण दर्ज होते समय उक्त वसीयत के आधार पर नामान्तकरण हेतु कार्यवाही क्यों नहीं की गयी। दूसरी परिस्थिति अगर वादी/अपीलार्थी के पक्ष में वसीयत निष्पादित थी तो फिर हकत्याग की आवश्यकता क्यों पडी। तथाकथित वसीयत पर स्वतंत्र गवाह परिक्षित नहीं

है और एक गवाह गोरधनराम परिक्षित करवाया गया है उसके स्वयं द्वारा वादी/अपीलार्थी के हक में विवादित आराजी का हक त्याग किया गया है, जब इस गवाह के ज्ञान में वसीयत निष्पादित होना पूर्व से था तो फिर उसके द्वारा हकत्याग क्यों किया गया। इसलिए इस गवाह का अनुप्रमाणक साक्ष्य होना ही संदिग्ध हो जाता है। इस प्रकार वर्ष 1977 में पक्षकारान के पूर्वज की मृत्यु उपरान्त विवादित आराजी विरासत के इन्तकाल से सभी वारिसान के नाम दर्ज हुई, तत्पश्चात् वर्ष 1988 में रिलीजडीड भी निष्पादित हुई, जिसकी सम्पूर्ण जानकारी वादी परमाराम को प्रारम्भ से थी और उसके द्वारा 19 वर्ष की लम्बी अवधि उपरान्त तथाकाथित वसीयत के आधार पर घोषणा का वाद प्रस्तुत करना प्रथमतः तो वसीयत को संदिग्ध होना प्रकट करता है।

9– प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में तथाकथित वसीयत के आधार पर वादी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए तथाकथित वसीयत को सन्देहास्पद होना मानते हुए अपील को स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

10– जहां तक प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा मूल वाद में कायम की गयी तनकीयात पर तनकीवार निर्णय पारित नहीं किये जाने का प्रश्न है, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने मूल वाद में कायम की गयी तनकीयात बाबत् पारित निर्णय के पृष्ट संख्या–4 से 8 में विस्तृत रूप से विवेचना की गयी है, जिसमें पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर भी विश्लेषण दिया गया है और प्रकरण में निहित मूल विवाद बिन्दू पर विस्तार से विवेचना करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में केवल मात्र तनकीवार विवेचना हेतु प्रकरण प्रथम अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

11– परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा अपील संख्या–59/2003 बउनवान आदूराम बनाम परमाराम वगै0 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15–03–2005 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**( राजेश कुमार दड़िया )**
**सदस्य**

**( हेमन्त कुमार गेरा )**
**अध्यक्ष**